

संख्या- 61/2026/1/1486806 /2026/11-4099/64/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,

उप सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

राज्य कर,

उ०प्र०, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 07 अक्टूबर, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत जी०एस०टी०एन० से सम्बन्धित व्यय के मानक मद 13-टेलीफोन पर व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी-1-6-बजट/पुनर्विनियोजन/2026-2027/290/राज्य कर, दिनांक 22.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा अनुबंध अवधि दिनांक 17.02.2022 से 16.02.2025 तक राज्य कर विभाग की 111 लोकेशन पर उपलब्ध करायी गयी वैकल्पिक Layer-3 MPLS लीज लाइन कनेक्टिविटी सेवाओं हेतु रू० 69318275.00 तथा बी०एस०एन०एल० लीज लाइन के आगामी त्रैमासिक बिलों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखाशीर्षक 2040-00-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद 01-वेतन में सम्भावित बचत में से राजस्व लेखाशीर्षक 2040-00-800-09-जी०एस०टी०एन० से सम्बन्धित व्यय के मानक मद 13-टेलीफोन पर व्यय में रू० 227.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर विभाग की 111 लोकेशन पर उपलब्ध करायी गयी वैकल्पिक Layer-3 MPLS लीज लाइन कनेक्टिविटी सेवाओं हेतु रू० 69318275.00 तथा बी०एस०एन०एल० लीज लाइन के आगामी त्रैमासिक बिलों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखाशीर्षक 2040-00-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद 01-वेतन में सम्भावित बचत में से राजस्व लेखाशीर्षक 2040-00-800-09-जी०एस०टी०एन० से सम्बन्धित व्यय के मानक मद 13-टेलीफोन पर व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि रू० 150.00 लाख (रुपये एक करोड़ पच्चास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
4. प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 089 लेखा शीर्षक 2040008000900 जी०एस०टी०एन०** से संबंधित व्यय **मानक मद 13** टेलीफोन पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
ARVIND SINGH
Date: 06-10-2025 16:10:00
(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, डॉ० राम मनोहर लोहिया उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०/-

(अरविन्द सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बी0एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A011-20262027-11-4099-14-2026-1 (Computer No. 1976599)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद 13-टेलीफोन पर व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था/स्वीकृति प्रदान कराने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	01 (वेतन)	6,38,75,00,000 रुपये छह अरब अड़तीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	2,70,00,000 रुपये दो करोड़ सत्तर लाख मात्र	2,27,00,000 रुपये दो करोड़ सत्ताईस लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	6,37,25,00,000 रुपये छह अरब सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र	2026-2027
कुल					₹ 2,27,00,000	₹ 1,50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष

089	2040008000900 (जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र	2,27,00,000 रुपये दो करोड़ सत्ताईस लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	9,00,00,000 रुपये नौ करोड़ मात्र	2026- 2027
कुल				₹ 2,27,00,000	₹ 1,50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे:-

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है-

शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान की मानक मद 01- वेतन की सम्भावित बचत ₹0 5000.00 लाख (रुपये पचास करोड़ मात्र) होने की पूर्ण सम्भावना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु ₹0 750-00 लाख (रुपया सात करोड़ पचास लाख मात्र) का प्राविधान किया गया था। शासनादेश संख्या-1/1463205/2026/11-4099/1/2022 दिनांक 14.09.2026 के द्वारा मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को धनराशि ₹0 69318275.00 का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि ₹0 750.00 लाख के सापेक्ष बी०एस०एन०एल० लीज लाइन का भुगतान ₹0 11147216/- किये जाने के पश्चात् ₹0 63852784/- का बजट उपलब्ध है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि बी०एस०एन०एल० लीज लाइन के अगामी दो त्रैमासिक बिलों तथा भारती एयरटेल के अगामी बिलों का भुगतान भी किया जाना है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में ₹0 227.00 लाख (रुपया दो करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।

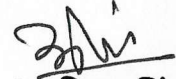
(3) प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर0ई0-बजट-1-128 दिनांक: 05-10-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।


(अरविन्द सिंह)

उप सचिव।

Digitally signed by

SIDHARTH SRIVASTAVA

Date: 07-10-2026 11:44:06

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)

अपर निदेशक वित्त।

संख्या व दिनांक: यथोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), 30प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, 30प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
6. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, 30प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(अरविन्द सिंह)

उप सचिव।